तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 187/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/381) बअनवान भंवरलाल व अन्य बनाम किशनलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भंवरलाल व अन्य

बनाम

किशनलाल इत्यादि

उपस्थित

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. आठ

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 18.02.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2021 अनवान किशनलाल बनाम जेठाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 सितंबर 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल खसरा नं. 597 के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादीगण थे, जिनका राजस्व रेकर्ड में खाता अलग होकर बट्टा नंबर अलग अंकित हो चुके है। जिस भूमि की स्थायी निषेधाज्ञा का वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 187/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/381) बअनवान भंवरलाल व अन्य बनाम किशनलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उस भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा एवं काश्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि के सबंध में तहसीलदार बापीणी की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 15.06.2021 की पालना में उक्त वाद पेश करने के बाद दिनांक 29.09.2021 को मौका फर्द बनाई गई, जिस मौका फर्द के अनुसार खसरा नं. 597/12 जमाबंदी में दर्ज खातेदार वादीगण किशनलाल वगैरह का मौके पर कब्जा एवं काश्त नहीं है। इस कारण कब्जा व काश्त के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने उक्त वाद के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2021 के जरिये वादग्रस्त आराजी के संबंध में एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अपीलांट्स द्वारा दिनांक 11.10.2021 को जवाब प्रस्तुत कर देने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा जवाब को रेकर्ड पर ही नहीं लिया तथा न ही आदेशिका अंकित की गई। इस कारण अपीलांट्स के पास हस्तगत अपील प्रस्तुत करने के अलावा काई विकल्प नहीं बचा। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स की भूमि के मध्य डामर सड़क बनी हुई है, जिसका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है, लेकिन डिजीटल प्रमाणित नक्शे में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट के बीच में डामर सड़क बनी हुई है। अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 597/10 एवं 597/11 है। खसरा नं. 597/5 सरकारी विद्यालय है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण द्वारा विद्यालय हेतु समर्पित की है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नं. 597/10 एवं 597/11 में कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है तथा न ही तारबंदी करने दी जा रही है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 सितंबर 2021 को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 597/11 रकबा 1.9911 हैक्टेयर, खसरा नं. 57/10 रकबा 2.357 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है तथा रेस्पोडेंट्स खसरा नं. 597/12 रकबा 0.8417 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स की भूमिया पृथक से तरमीम होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध होना प्रतीत होती हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.09.2021 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 597/12 पर रेस्पोडेंट संख्या एक व दो का कब्जा काश्त ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध है। मामला अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। लिहाजा मामले के विधिसम्मत निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 187/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/381) बअनवान भंवरलाल व अन्य बनाम किशनलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 सितंबर 2021 को अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 597/10 रकबा 2.3957 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 597/11 रकबा 1.9911 हैक्टेयर के संबंध में निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दो माह की अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करें।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर